



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.09.2023

1. थाना जेवर पुलिस द्वारा, शातिर टप्पेबाज अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना क्रम का विवरण---- दिनांक **25/09/2023** को थाना जेवर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 266/2023 धारा 420/379/411 भादवि के अंतर्गत टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त विशाल पुत्र माखन को खुर्जा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त के कब्जे से वादी से चोरी किये गये दो लाख रुपये बरामद किये गये हैं, अभियुक्त टप्पेबाजी कर कस्बा जेवर गौतमबुद्धनगरसे मध्यप्रदेश भाग जाते हैं।

घटना का विवरण---- दिनांक 22/09/2023 को वादी द्वारा, कस्बा जेवर स्थित एसबीआई बैंक से अपने खाते से 2 लाख रुपये निकाले थे तथा घर जाते समय इण्डियन बैंक के पास एक खोखे पर चाय पीने के लिए रुक गये। रूपयो से भरा बैग वही चाय की दुकान पर अपने पास रख लिया। चाय पीते वक्त एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर बिस्किट खाकर थूक दिया और प्रेमचन्द से कहा कि आपकी शर्ट पर गंदगी लगी है, जिस पर उस व्यक्ति द्वारा प्रेमचन्द की शर्ट धुलवाने के बहाने शर्ट उतरवाकर शर्ट को धुलाने में मदद करने लगा तथा वादी की नजर बचाते हुए प्रेमचन्द का पैसो का बैग लेकर गायब हो गया।

अभियुक्त का विवरण---- विशाल पुत्र माखन हाल निवासी कड़िया सांसी थाना बोडा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश तथा मूल निवासी लक्ष्मीपुरा खटोली थाना खटोली जनपद बारां राजस्थान ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण---- मु0अ0सं0 266/2023 धारा 420/379/411 भादवि थाना जेवर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण---- अभियुक्त के कब्जे से वादी से चोरी गये 2 लाख रुपये बरामद ।